

WV
रीडर

19-2-2021 वकील वारी उप०। कदम सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा
दि० 3-2-2021 को पेश हो।

3-2-2021 वकील वारी उप०। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया
गया कि प्रकरण में प्रा०पत्र दि० 26-1-2008 अन्तर्गत
आदेश 22 नियम 4 C.A.C
आदेश 6 नियम 17 C.P.C एवं 151 C.P.C पर आदेश
नहीं हुआ है। अतः यह प्रा०पत्र आज स्वीकार किया
जाता है। प्रकरण में मुक्त प्रतिवारी सं० 2, 32, 35,
36, 37 के कारिसों की तल्लो पूर्व में की जा चुकी
है। वकील वारी संशोधित वाइल पेश करे। पत्रावली
दि० 18-2-2021 को पेश हो।

18-2-2021 वकील वारी उप०। वकील वारी ने संशोधित वाइल
प्रस्तुत किया। वादपत्र की फाइनल कदम सुनी गई।
वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 4-3-2021 को पेश हो।

4-3-2021 वकील वारी उप०। दाक वारी डिफ्री किया जाता है
एवं वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीराण को ~~कदम~~
वेदरवल कर भूमि का कब्जा वारी की ओर से पुनारीण
को संप्रदानेका आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो
एवं वाद तकमील दारखिल दफ्तर हो।



मुकदमा नम्बर

138/2008

तारीख रजू

16.9.2008

तारीख निर्णय

4-3-2011

मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान गंगापूर सिटी जरिए पुजारी व्यवस्थापक रामभरोसी चौबे पुत्र श्री ब्रह्मानन्द चौबे, ब्राह्मण निवासी गंगापूर सिटी (मृतक)

1/1 गोविन्द

1/2 देवेन्द्र

1/3 बैजनाथ

पुत्र स्व. रामभरोसी चौबे, ब्राह्मण, पुजारी व्यवस्थापक मंदिर गोपीनाथ जी महाराज विराजमान गंगापूर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापूर सिटी
2. मुन्ना पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापूर सिटी (मृतक)
- 2/1 रामू पुत्र मुन्ना, मीना निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापूर सिटी
3. मुंशी पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलॉ तह0 गंगापूर सिटी
4. सूरजसिंह पुत्र घूडिया, पूर्विया राजपूत निवासी उदेई कलॉ
5. सत्यनारायण उर्फ सतानन्द पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल नि. उदेईकलॉ
6. कमलेश पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल निवासी उदेईकलॉ
7. नानसिंह पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल निवासी उदेईकलॉ
8. सीताराम पुत्र स्व. अर्जुन, खारवाल निवासी उदेईकलॉ
9. प्रभू पुत्र नानग्या, खारवाल निवासी उदेईकलॉ
10. लक्ष्मण पुत्र रामप्रसाद, खारवाल निवासी उदेईकलॉ
1. गिराज पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलॉ
2. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलॉ
3. मनसुख पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलॉ
4. बबू पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलॉ
5. जौनप्रकाश पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलॉ
6. राजमोहन पुत्र लौहडिया, जाटव निवासी उदेईकलॉ
7. खेमराज पुत्र बुद्धि, जाटव निवासी उदेईकलॉ
8. रत्नकिशन पुत्र बुद्धि, जाटव निवासी उदेईकलॉ
9. मंगाराम पुत्र हीरा, जाटव निवासी उदेईकलॉ
10. परनाती पुत्र पोकरिया, जाटव निवासी उदेईकलॉ
11. देवचंद पुत्र बिरजा, जाटव निवासी उदेईकलॉ
12. बल्लीलाल पुत्र सुकलो, जाटव निवासी उदेईकलॉ



24. यादराम पुत्र सुकलो, जाटव निवासी उदेईकलों
25. सुलन पुत्र नूडिया, जाटव निवासी उदेईकलों
26. हिल्यान पुत्र जगन, जाटव निवासी उदेईकलों
27. इरकूल पुत्र स्व0 वाल्या, जाटव निवासी उदेईकलों
28. कान्हा पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
29. कल्ला पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
30. बुद्धा पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
31. कन्हैया पुत्र परमा, जाटव निवासी उदेईकलों (मृतक)
32. रामसहाय पुत्र नारायण, जाटव निवासी उदेईकलों
33. नानगा पुत्र पौंच्या, खारवाल निवासी उदेई कलों (मृतक)
- 32/1 रामप्रसाद पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/2 रामरतन पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/3 प्रमू पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/4 लक्ष्मण पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
33. गोखन पुत्र भौरया, खारवाल निवासी उदेईकलों
34. सोन्या पुत्र नानगा, जाटव निवासी उदेईकलों
35. मूल्या उर्फ मूडया, जाटव, निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 35/1 पूरण पुत्र मूल्या उर्फ मूडया, जाटव निवासी उदेई कलों
- 35/2 जसराम पुत्र मूल्या उर्फ मूडया, जाटव निवासी उदेई कलों
36. रतलिया पुत्र नामालूम , जाटव निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 36/1 बत्तीलाल पुत्र स्व. रतलिया उर्फ रतनिया, जाटव निवासी उदेईकलों
- 36/2 बाबू पुत्र स्व. रतलिया उर्फ रतनिया, जाटव निवासी उदेईकलों
37. सुखलियाँ जाति जाटव, निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 37/1 यादराम पुत्र सुखलियाँ उर्फ सुक्को, जाटव निवासी उदेईकलों
38. नाथ्या पुत्र रामरतन, मीना निवासी उदेईकलों
39. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन, मीना निवासी उदेईकलों
40. तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा
एवं बेदखली

स्थित :-श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री
पीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान गंगापुर सिटी की खातेदारी की भूमि



खेवट खतौनी संख्या 299 के हॉल खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.03 है, ख0न0 2339 रकबा 0.40 है, ख0न0 2339/6194 रकबा 0.46 है, ख0न0 2340 रकबा 0.43 है, ख0न0 2357 रकबा 0.09 है, ख0न0 2358 रकबा 0.17 है, ख0न0 2360 रकबा 0.52 है, ख0न0 2362 रकबा 0.73 है, ख0न0 2363 रकबा 0.16 है, ख0न0 2364 रकबा 0.15 है, ख0न0 2365 रकबा 0.13 है, ख0न0 2366 रकबा 0.34 है, ख0न0 2367 रकबा 0.41 है, ख0न0 2368 रकबा 0.34 है, ख0न0 2369 रकबा 0.37 है, ख0न0 2370 रकबा 0.36 है, ख0न0 2371 रकबा 0.41 है, ख0न0 2372 रकबा 0.30 है, ख0न0 2373 रकबा 0.65 है, ख0न0 2374 रकबा 0.29 है, ख0न0 2375 रकबा 0.40 है, ख0न0 2376 रकबा 0.32 है, ख0न0 2377 रकबा 0.39 है, ख0न0 2378 रकबा 1.04 है, कुल किता 24 कुल रकबा 8.89 हेक्टर एवं खेवट खतौनी सं0 234 के खसरा नम्बर की भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 0.57 है, ख0न0 1770 रकबा 0.31 है, ख0न0 1771 रकबा 0.23 है, ख0न0 1772 रकबा 0.24 है, ख0न0 1773 रकबा 0.22 है, ख0न0 1774 रकबा 0.24 है, ख0न0 2155 रकबा 0.23 है, ख0न0 2156 रकबा 0.33 है, ख0न0 2159 रकबा 0.54 है, ख0न0 2160 रकबा 0.46 है, ख0न0 2161 रकबा 0.45 है, ख0न0 2162 रकबा 0.27 है, ख0न0 2163 रकबा 0.35 है, ख0न0 2163/6356 रकबा 0.17 है, ख0न0 2164 रकबा 0.17 है, ख0न0 2165 रकबा 0.44 है, ख0न0 2381 रकबा 0.29 है कुल किता 17 कुल रकबा 5.51 है स्थित ग्राम उदेई कला दोनो खेवट खतौनी की कुल भूमि 8.89 है + 5.51 है कुल खसरा नम्बर 41 कुल रकबा 14.40 है है। हाल खसरा न0 2158 रकबा 0.13 है स्थित ग्राम उदेई कला मन्दिर गोपीनाथ जी की खातेदारी की भूमि है परन्तु गलती से पुजारी श्यामसुन्दर पुत्र गोवर्धनलाल के नाम लग गयी है और उक्त भूमि पूर्व मे ही मन्दिर गोपीनाथ जी की खातेदारी रही है पुजारी के नाम गलत इन्द्राज हो गया है और भूमि मन्दिर की है। उक्त मन्दिर के पूजारी व्यवस्थापक श्री श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 श्री गिरधरलाल जाती चौबे निवासी गंगापुर सिटी थे, उनका स्वर्गवास दिनांक 13.10.1998 को हो चुका है और उनकी जगह जरिये वसीयत प्रार्थी मन्दिर गोपीनाथजी का व्यवस्थापक पुजारी है और मंदिर की भूमि व जायदाद की देखभाल व सेवा पूजा व संरक्षण का दायित्व प्रार्थी का है। मन्दिर गोपीनाथ जी खातेदार की ओर से दावे के मद नम्बर 1 मे दर्ज आराजीयात प्रतिवादीगण 1 लगायत 39 को उन्होने काश्त की आधा बटाई पर काश्त के लिये बताया थी और जिसकी आय से मन्दिर की व्यवस्था होती रही है।



परन्तु गत फसल से प्रतिवादीगण ने एक गिरोह बना लिया और आपस में साज कर निर्णय कर लिया कि अब मन्दिर को काश्त का आधा बट नहीं देना है। दिनांक 25.08.2008 को प्रार्थी रामभरोसी प्रतिवादीगण के पास गया और कहा कि अपनी फसल का जितने जितने हिस्से में बोई है आधी फसल मन्दिर को पहुंचाना है तो प्रतिवादीगण ने एक राय से कहा कि अब तक मन्दिर को देते रहे हैं अब कोई आधा बटाई नहीं देंगे ना तो इस फसल में देंगे और न आगे कोई आधी बटाई नहीं देंगे और इस भूमि में अपने अपने पुख्ता मकान बनायेंगे, भूमि के मालिक हम हैं हम चाहेंगे तो बेचेंगे, तुम्हारा व मन्दिर का कोई लेना देना नहीं है। आइन्दा मन्दिर की ओर से बटाई लेने मत आना। हाल ख0न0 2158 जो कि गलती से माफी मन्दिर की जगह होते हुए भी पुजारी के नाम हाल जमाबन्दी में गलत तौर से लग गयी है जबकि राज्य सरकार के आदेश है कि मन्दिर भूमि मन्दिर के नाम ही लगेगी और वादी के उक्त तथ्यों का इल्म दिनांक 19.08.2008 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुआ। श्री श्यामसुन्दर का जरिये वसीयत वादी वारिस है परन्तु मन्दिर का संरक्षक व व्यवस्थापक होने से मन्दिर की भूमि देखभाल करने का उसका दायित्व बन जाता है। इस कारण खसरा नम्बर 2158 को मन्दिर गोपीनाथ जी की भूमि घोषित किया जाकर पुजारी श्यामसुन्दर का नाम हजफ किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रतिवादीगण ने मन्दिर की भूमि आधा बटाई देने से इन्कार कर दिया है इसलिये उनको आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से मन्दिर की भूमि से बेदखल कर आगे मन्दिर की भूमि में मजाहमत नहीं करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। यदि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो मन्दिर की भूमि को निर्माण करके रहन, वय करके वेस्ट डैमेज करने से प्रतिवादीगण बाज नहीं आवेंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) खसरा नम्बर 2158 रकवा 0.13 है0 स्थित ग्राम उदेई कलों को वादी की खातेदारी घोषित किया जाकर श्यामसुन्दर पुजारी की जगह गोपीनाथ जी की खातेदारी दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण 1 लगायत 39 को बेदखल किया जाकर आदेश दिया जावे कि दावे के मद नम्बर 1 में दर्ज आराजीयात को कब्जा खाली कर मन्दिर के पुजारी को सम्भला दे और भविष्य में मन्दिर माफी की भूमि को



वेस्ट डैमेज नहीं करे ना ही किसी प्रकार की तामीर करे, ना उक्त भूमि को कही रहन, वय नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नोटिस क्रमांक 1389 दिनांक 15.3.1996 तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रदर्श 1, नोटिस क्रमांक 433 दिनांक 7.1.91 तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सं० 2061 से 2064 खाता संख्या 299 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत् 2061-2064 खाता संख्या 381 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी संवत् 2061-2064 खाता संख्या 234 प्रदर्श 5, प्रस्तुत की है एवं बयान रामभरोसी पीडब्ल्यू 1, बयान विनोद कुमार शर्मा पीडब्ल्यू 2 कराये है। इसके अलावा वसीयत नामा दिनांक 25.11.97 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई

वादी के वकील ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत् 2061-64 प्रदर्श 3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान गंगापुर के खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे कोई लिखित कथन अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं वे न्यायालय मे उपस्थित भी नहीं हुए है। वादी ने अपने वादपत्र मे भूमि ख०न० 2158 रकबा 0.13 है० की खातेदारी मंदिर के नाम दर्ज करने का भी निवेदन किया है। यह भूमि नकल जमाबंदी संवत् 2061-64 प्रदर्श 4 के अनुसार श्यामसुन्दर पुत्र गोरधन जाति ब्राह्मण साकिन गंगापुर की खातेदारी मे दर्ज है। इस भूमि के पूर्व मे क्या नम्बर थे और भूमि किसकी खातेदारी मे थी, इसका कोई अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी इस भूमि के सम्बन्ध मे कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्य वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.03 है०, ख०न० 2339 रकबा 0.40 है०, ख०न० 2339/6194 रकबा 0.46 है०, ख०न० 2340 रकबा 0.43 है०, ख०न० 2357 रकबा 0.09 है०, ख०न० 2358 रकबा 0.17 है०, ख०न० 2360 रकबा 0.52 है०, ख०न० 2362 रकबा 0.73 है०, ख०न० 2363 रकबा 0.16 है०, ख०न० 2364 रकबा 0.15 है०, ख०न० 2365 रकबा 0.13 है०, ख०न० 2366 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2367 रकबा 0.41 है०, ख०न० 2368 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2369 रकबा 0.37 है०, ख०न० 2370 रकबा 0.36 है०, ख०न० 2371 रकबा 0.41 है०, ख०न० 2372 रकबा 0.30 है०, ख०न० 2373 रकबा 0.65 है०, ख०न० 2374 रकबा 0.29 है०, ख०न० 2375 रकबा 0.40 है०, ख०न० 2376 रकबा 0.32 है०, ख०न० 2377



मंदिर श्री गोपीनाथजी बनाम रामरतन वगैरा, दावा

(6)

रकवा 0.39 है०, ख०न० 2378 रकवा 1.04 है०, कुल किता 24 कुल रकवा 8.89 हेक्टर ग्राम उदेईकलॉ से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाने एवं भूमि का कब्जा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

भूमि खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.03 है०, ख०न० 2339 रकबा 0.40 है०, ख०न० 2339/6194 रकबा 0.46 है०, ख०न० 2340 रकबा 0.43 है०, ख०न० 2357 रकबा 0.09 है०, ख०न० 2358 रकबा 0.17 है०, ख०न० 2360 रकबा 0.52 है०, ख०न० 2362 रकबा 0.73 है०, ख०न० 2363 रकबा 0.16 है०, ख०न० 2364 रकबा 0.15 है०, ख०न० 2365 रकबा 0.13 है०, ख०न० 2366 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2367 रकबा 0.41 है०, ख०न० 2368 रकबा 0.34 है०, ख०न० 2369 रकबा 0.37 है०, ख०न० 2370 रकबा 0.36 है०, ख०न० 2371 रकबा 0.41 है०, ख०न० 2372 रकबा 0.30 है०, ख०न० 2373 रकबा 0.65 है०, ख०न० 2374 रकवा 0.29 है०, ख०न० 2375 रकबा 0.40 है०, ख०न० 2376 रकवा 0.32 है०, ख०न० 2377 रकवा 0.39 है०, ख०न० 2378 रकवा 1.04 है०, कुल किता 24 कुल रकवा 8.89 हेक्टर ग्राम उदेईकलॉ से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी की ओर से मंदिर के पुजारीगण को संभलाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ५-३-१९०५ को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(अनिल कुमार चौधरी)

उप जिला कलेक्टर

गंगानपुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगानपुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Procede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान स्थान गंगापुर सिटी जरिए पुजारी
व्यवस्थापक रामभरोसी चौबे पुत्र श्री ब्रह्मानन्द चौबे, ब्राह्मण निवासी गंगापुर
सिटी (मृतक)

1/1 गोविन्द

1/2 देवेन्द्र

1/3 बैजनाथ

पुत्र स्व. रामभरोसी चौबे, ब्राह्मण, पुजारी व्यवस्थापक
मंदिर गोपीनाथ जी महाराज विराजमान गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलौ तह0 गंगापुर सिटी
2. मुन्ना पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलौ तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
- 2/1 रामू पुत्र मुन्ना, मीना निवासी उदेईकलौ तह0 गंगापुर सिटी
3. मुंशी पुत्र श्रवण, मीना निवासी उदेई कलौ तह0 गंगापुर सिटी
4. सूरजसिंह पुत्र घूडिया, पूर्विया राजपूत निवासी उदेई कलौ
5. सत्यनारायण उर्फ सतानन्द पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल नि. उदेईकलौ
6. कमलेश पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल निवासी उदेईकलौ
7. मानसिंह पुत्र स्व. रामजीलाल, खारवाल निवासी उदेईकलौ
8. सीताराम पुत्र स्व. अर्जुन, खारवाल निवासी उदेईकलौ
9. प्रभू पुत्र नानग्या, खारवाल निवासी उदेईकलौ
10. लक्ष्मण पुत्र रामप्रसाद, खारवाल निवासी उदेईकलौ
11. गिराज पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलौ
12. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलौ
13. मनसुख पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलौ
14. बब्बू पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलौ
15. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लल्लू, ब्राह्मण निवासी उदेई कलौ
16. राजमोहन पुत्र लौहडिया, जाटव निवासी उदेईकलौ
17. खेमराज पुत्र बुद्धि, जाटव निवासी उदेईकलौ
18. रामकिशन पुत्र बुद्धि, जाटव निवासी उदेईकलौ
19. गंगाराम पुत्र हीरा, जाटव निवासी उदेईकलौ
20. परभाती पुत्र पोकरिया, जाटव निवासी उदेईकलौ



उप जिला कलेक्टर
सिटी (सं०मा०)

21. देवचंद पुत्र बिरजा, जाटव निवासी उदेईकलों
22. बत्तीलाल पुत्र सुकलो, जाटव निवासी उदेईकलों
23. यादराम पुत्र सुकलो, जाटव निवासी उदेईकलों
24. पूरन पुत्र मूडिया, जाटव निवासी उदेईकलों
25. हिरवान पुत्र जगन, जाटव निवासी उदेईकलों
26. हरफूल पुत्र स्व० वाल्या, जाटव निवासी उदेईकलों
27. कान्हा पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
28. कल्ला पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
29. बुद्धा पुत्र झूता, जाटव निवासी उदेईकलों
30. कन्हैया पुत्र परमा, जाटव निवासी उदेईकलों (मृतक)
31. रामसहाय पुत्र नारायण, जाटव निवासी उदेईकलों
32. नानगा पुत्र पॉच्या, खारवाल निवासी उदेई कलों (मृतक)
- 32/1 रामप्रसाद पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/2 रामरतन पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/3 प्रभू पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
- 32/4 लक्ष्मण पुत्र नानगा, खारवाल निवासी उदेईकलों
33. गोरधन पुत्र भौरया, खारवाल निवासी उदेईकलों
34. सोन्या पुत्र नानगा, जाटव निवासी उदेईकलों
35. मूल्या उर्फ मूडया, जाटव, निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 35/1 पूरण पुत्र मूल्या उर्फ मूडया, जाटव निवासी उदेई कलों
- 35/2 जसराम पुत्र मूल्या उर्फ मूडया, जाटव निवासी उदेई कलों
36. रतलिया पुत्र नामालूम, जाटव निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 36/1 बत्तीलाल पुत्र स्व. रतलिया उर्फ रतनिया, जाटव निवासी उदेईकलों
- 36/2 बाबू पुत्र स्व. रतलिया उर्फ रतनिया, जाटव निवासी उदेईकलों
37. सुखलियो जाति जाटव, निवासी उदेईकलों (मृतक)
- 37/1 यादराम पुत्र सुखलियो उर्फ सुक्को, जाटव निवासी उदेईकलों
38. नाथ्या पुत्र रामरतन, मीना निवासी उदेईकलों
39. ओमप्रकाश पुत्र रामरतन, मीना निवासी उदेईकलों
40. तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा
एवं बेदखली

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)



मंदिर श्री गोपीनाथजी बनाम रामरतन वगैरा, दावा
(3)

मुकदमा नं. -136/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.03 है, ख0न0 2339 रकबा 0.40 है, ख0न0 2339/6194 रकबा 0.46 है, ख0न0 2340 रकबा 0.43 है, ख0न0 2357 रकबा 0.09 है, ख0न0 2358 रकबा 0.17 है, ख0न0 2360 रकबा 0.52 है, ख0न0 2362 रकबा 0.73 है, ख0न0 2363 रकबा 0.16 है, ख0न0 2364 रकबा 0.15 है, ख0न0 2365 रकबा 0.13 है, ख0न0 2366 रकबा 0.34 है, ख0न0 2367 रकबा 0.41 है, ख0न0 2368 रकबा 0.34 है, ख0न0 2369 रकबा 0.37 है, ख0न0 2370 रकबा 0.36 है, ख0न0 2371 रकबा 0.41 है, ख0न0 2372 रकबा 0.30 है, ख0न0 2373 रकबा 0.65 है, ख0न0 2374 रकबा 0.29 है, ख0न0 2375 रकबा 0.40 है, ख0न0 2376 रकबा 0.32 है, ख0न0 2377 रकबा 0.39 है, ख0न0 2378 रकबा 1.04 है, कुल किता 24 कुल रकबा 8.89 हेक्टर ग्राम उदेईकलों से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी की ओर से मंदिर के पुजारीगण को संभलाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-2021 को जारी किया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगपुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		